उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2025 में विभिन्न विभागों के **समूह–ख** के सम्मिलित समस्त पदों हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर **दिनाँक 27 मई, 2025** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. रिक्तियों का पदवार/विभागवार विवरण निम्नवत् है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है :–

पद कोड	पदनाम/ विभाग	वेतनमान	रिक्तियां	ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण					क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण
				GEN	SC	ST	OBC	EWS	
1.	डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक एवं सतर्कता विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	03	02	01	00	00	00	–
2.	पुलिस उपाधीक्षक (गृह विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	07	04	02	00	01	00	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनारक्षित–01)
3.	वित्त अधिकारी/ कोषाधिकारी (वित्त विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	10	05	01	01	02	01	**उत्तराखण्ड महिला– 03** (अनारक्षित–02 अनुसूचित जाति–01) **राज्य आन्दोलनकारी–01** (अनारक्षित–01)
4.	सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	06	02	01	00	02	01	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनारक्षित–01)
5.	उप निबन्धक श्रेणी–II (वित्त विभाग)	44,900-1,42,400 Level-07	12	09	00	01	01	01	**उत्तराखण्ड महिला– 03** (अनारक्षित–03) **राज्य आन्दोलनकारी–01** (अनारक्षित–01)
6.	सहायक आयुक्त, राज्य कर (वित्त विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	13	08	02	00	02	01	**उत्तराखण्ड महिला– 03** (अनारक्षित–02 अनुसूचित जाति–01) **राज्य आन्दोलनकारी–01** (अनारक्षित–01)
7.	राज्य कर अधिकारी, (वित्त विभाग)	44,900-1,42,400 Level-07	17	16	00	00	00	01	**उत्तराखण्ड महिला– 05** (अनारक्षित–05) **राज्य आन्दोलनकारी–01** (अनारक्षित–01)
8.	सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1 (शहरी विकास विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	07	05	01	00	00	01	**उत्तराखण्ड महिला– 02** (अनारक्षित–02)
9.	कार्य अधिकारी, जिला पंचायत (पंचायतीराज विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	02	00	00	00	01	01	–
10.	उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर/ विधि अधिकारी	56,100-1,77,500 Level-10	15	06	04	01	03	01	**उत्तराखण्ड महिला– 04** (अनारक्षित–02 अनुसूचित जाति–01 अन्य पिछड़ा वर्ग–01)

पद कोड	पदनाम / विभाग	वेतनमान	रिक्तियां	ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण					क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण
				GEN	SC	ST	OBC	EWS	
	(विद्यालयी शिक्षा विभाग)								**राज्य आन्दोलनकारी–01** (अनारक्षित–01)
11.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, (समाज कल्याण विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	02	02	00	00	00	00	–
12.	अधीक्षक, राजकीय भिक्षुक गृह (प्रमाणित संस्था), राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह (समाज कल्याण विभाग)	35,400-1,12,400 Level-06	03	02	01	00	00	00	–
13.	सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	04	02	02	00	00	00	–
14.	सहायक गन्ना आयुक्त (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	01	01	00	00	00	00	–
15.	जिला परिवीक्षा अधिकारी (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)	44,900-1,42,400 Level-07	01	01	00	00	00	00	–
16.	सूचना अधिकारी / जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	44,900-1,42,400 Level-07	03	00	01	00	01	01	–
17.	सम्पादक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	44,900-1,42,400 Level-07	01	01	00	00	00	00	–
18.	फीचर लेखक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	44,900-1,42,400 Level-07	01	01	00	00	00	00	–
19.	सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी / कृषि रक्षा अधिकारी / केन्द्र प्रभारी (कृषि सेवा समूह–ख, कृषि विकास शाखा) (कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	08	07	00	00	01	00	**उत्तराखण्ड महिला– 02** (अनारक्षित–02)

पद कोड	पदनाम / विभाग	वेतनमान	रिक्तियां	ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण					क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण
				GEN	SC	ST	OBC	EWS	
20.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी) कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा)	56,100-1,77,500 Level-10	01	01	00	00	00	00	–
21.	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी / प्रधानाचार्य, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' (खाद्य प्रसंस्करण शाखा)	56,100-1,77,500 Level-10	02	02	00	00	00	00	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनारक्षित–01)
22.	प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ / कीट विद्, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' (कीट एवं पौध परीक्षण शाखा)	56,100-1,77,500 Level-10	02	02	00	00	00	00	–
23.	सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी–2, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' (सांख्यिकीय एवं नियोजन शाखा)	56,100-1,77,500 Level-10	01	01	00	00	00	00	–
24.	जिला पर्यटन विकास अधिकारी (पर्यटन विभाग)	56100-177500 Level-10	01	-	-	-	01	-	-
योग			**123**	**80**	**16**	**3**	**15**	**9**	..

नोट– (01) रिक्तियों की कुल संख्या 123 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
(02) जिन आरक्षित श्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं हैं, उस श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते है।

3. शासनादेश संख्या : 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05.06.2023 के अनुसार उक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगता की चिह्नित श्रेणियों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	पदनाम	दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिह्नित श्रेणी
1.	डिप्टी कलेक्टर	OA, HH/PD, LV/PB, DW, AAV/AV
2.	पुलिस उपाधीक्षक	पद दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिह्नित नहीं है।
3.	वित्त अधिकारी / कोषाधिकारी	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV
4.	सहायक निदेशक / लेखा परीक्षा अधिकारी	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV
5.	उप निबन्धक श्रेणी–II	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV

6	सहायक आयुक्त	OA, OL, LV/PB, HH/PD, DW, AAV/AV
7.	राज्य कर अधिकारी	OA, OL, LV/PB, HH/PD, DW, AAV/AV
8.	सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (श्रेणी–1)	OA, OL, LV/PB, HH/PD, D, LC, DW, AAV/AV
9.	कार्य अधिकारी, जिला पंचायत	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, AAV/AV एवं DW
10.	उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी	LV/PB, HH/PD, BH, OA, OL, OAL, LC, DW ,TH, HP, CP, AAV/AV, MDY/MW
11.	जिला समाज कल्याण अधिकारी,	OA, OL, LV/PB, HH/PD, DW, AAV/AV
12.	अधीक्षक, राजकीय प्रमाणित संस्था	OA, OL, LV/PB, HH/PD, DW, AAV/AV
13.	सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा	OA, LV/PB, HH/PD, B
14	सहायक गन्ना आयुक्त	D, HH/PD, OL, CP, LC, DW, AAV/AV, MDY
15	जिला परिवीक्षा अधिकारी	OA, OL, B, LV/PB, D, HH/PD, DW
16	सूचना अधिकारी/ जिला सूचना अधिकारी	OA, OL, LV/PB, DW
17	सम्पादक	पद दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिह्नित नहीं है।
18	फीचर लेखक	पद दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिह्नित नहीं है।
19	सहायक निदेशक/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी/केन्द्र प्रभारी	LV/PB, HH/PD, OA, OL, LC, DW, AAV/AV, TH, HP
20	सहायक निदेशक (सांख्यिकी) कृषि सेवा श्रेणी–2	LV/PB, HH/PD, OA, OL, LC, DW, AAV/AV, TH, HP
21	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी/प्रधानाचार्य, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख'	OA, LV/PB, HH/PD. LC, DW, AAV/AV
22	प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ/कीट विद्, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख'	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV
23	सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी–2, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख'	LC, DW, AAV/AV. LV/PB, D, HH/PD, OA, OL, BL, TH, HP
24	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	OA, OL, OAL, HH/PD, D, LV/PB, B, LC, DW, AAV/AV, MDY, MI, MD, CP, BL, BA

नोटः– स्तम्भ–02 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष स्तम्भ–03 में अंकित दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त चिह्नित उपश्रेणियों के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते है।

4. **पद का स्वरूप :** पद कोड 1 से 5, 6, 7, 10, 14 से 23 तक के पद राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त तथा पद कोड–08 सहायक नगर आयुक्त, पद कोड–09 कार्य अधिकारी, पद कोड–24 जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पद अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त है, तथा पद कोड–11 जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं पद कोड–12 अधीक्षक, राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह), राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह तथा राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र (समाज कल्याण विभाग), के पद राजपत्रित/अस्थाई किन्तु निरन्तर चलते रहेंगे तथा अंशदायी पेंशनयुक्त है। पद कोड–13 सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के पद राजपत्रित/अस्थाई/स्थाई (अविरल) एवं अंशदायी पेंशनयुक्त है।

5. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :** उपर्युक्त तालिका के पद कोड–01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 एवं 11 पर उल्लिखित पदों हेतु अभ्यर्थियों को **भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि**

अवश्य धारित होनी चाहिए। क्रम संख्या–04, 05, 10, 12 से 24 पर उल्लिखित पदों हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं–

विशेष अर्हता वाले पद

पद कोड	पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
04.	सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट से चार्टर्ड एकाउण्टेंट (सी0ए0) की उपाधि होनी चाहिए।
05.	उप निबन्धक श्रेणी–II (वित्त विभाग)	उप निबन्धक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
10.	उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि।
12.	अधीक्षक, राजकीय भिक्षुक गृह (प्रमाणित संस्था), राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह (समाज कल्याण विभाग)	भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि।
13.	सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा विभाग)	**(क)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में परास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष। **(ख)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री/बी0एड0 उपाधि।
14.	सहायक गन्ना आयुक्त (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपााधि।
15.	जिला परिवीक्षा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नाकोत्तर उपाधि।
16.	सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में एक वर्ष का डिप्लोमा **अथवा** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि।

17.	सम्पादक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।
18.	फीचर लेखक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक।
19.	सहायक निदेशक/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी/केन्द्र प्रभारी (कृषि सेवा समूह–ख, कृषि विकास शाखा) (कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
20.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी) कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित **या** गणितीय सांख्यिकी **या** सांख्यिकी **या** कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
21.	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी/ प्रधानाचार्य, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' (खाद्य प्रसंस्करण शाखा)	विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी) **या** विज्ञान स्नातक (कृषि) (बी0एस0सी0 (कृषि) की उपाधि के बाद राजकीय फल परिरक्षण एवं डिब्बाबन्द संस्थान, लखनऊ से **या** किसी अन्य संस्थान से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबंध और भोजन प्रबंध में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो **या** खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि (एम0एस0सी0) प्राप्त की हो। **या** खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्नपत्र (विषय) के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।
22.	प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ/ कीट विद् उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' (कीट एवं पौध परीक्षण शाखा)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर (कृषि) एम0एस0सी0 (कृषि)/विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि। **नोट : संबंधित विषय का आशय कीट विज्ञान (Entomology) या कीट विज्ञान (Entomology) में विशिष्टता से है।**
23.	सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी–2, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' (सांख्यिकीय एवं नियोजन शाखा)	गणित या गणितीय सांख्यिकी **या** सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान **या** विश्वविद्यालय से सांख्यिकी (गणितीय) में कम से कम दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया हो।

24.	जिला पर्यटन विकास अधिकारी (पर्यटन विभाग)	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन/होटल मैनेजेमेन्ट/सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। **(दो)** हिन्दी–अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटर का ज्ञान।

नोट–1. उक्तांकित तालिका के पद कोड–10 पर उल्लिखित 'विधि अधिकारी पद हेतु 'उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक सवंर्ग) नियमावली 2013' के भाग–3 के भर्ती का स्रोत के बिन्दु संख्या–5(छ)(ii) के अनुसार कार्यरत् अधिकारियों में से जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो की तैनाती की जायेगी।

2. उक्तांकित तालिका के पद कोड–17 पर उल्लिखित सम्पादक पद हेतु वांछित अनिवार्य अनुभव के संबंध में अभ्यर्थियों को परिशिष्ट–7 पर उल्लिखित प्रारूप के अनुसार प्रमाण–पत्र देना होगा।

6. अधिमानी अर्हता– उपर्युक्त तालिका के पद कोड–01, 02, 03, 05, 06, 07, 21, 22, 23 पर उल्लिखित पदों हेतु अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तालिका के पद कोड–04, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 पर उल्लिखित पदों हेतु निम्नवत अधिमानी अर्हताएं निर्धारित हैं–

पद कोड	पदनाम	अधिमानी अर्हता
04, 08, 17	सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त विभाग), सहायक नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी (श्रेणी–1) एवं सम्पादक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	**(एक)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
10	उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण (बी0एड0) उपाधि। **(दो)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **(तीन)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

12	अधीक्षक, राजकीय भिक्षुक गृह (प्रमाणित संस्था), राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह (समाज कल्याण विभाग)	**(1)** अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। **(2)** किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी समाज कल्याण संस्था को प्रशासनिक या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव **(3)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक संस्थान से कटाई, सिलाई और बुनाई में डिप्लोमा का प्रमाण–पत्र।
13	सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा विभाग)	**(एक)** प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, **या** **(दो)** नेशनल कैडेट–कोर का ''बी'' अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, **या** **(तीन)** खेल प्रतियोगिताओं में राज्य **या** राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया हो,
14	सहायक गन्ना आयुक्त (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग)	**(एक)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि। **(दो)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या** **(तीन)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
15	जिला परिवीक्षा अधिकारी	**(एक)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि। **(दो)** सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।
16, 18	सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग) एवं फीचर लेखक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	**(एक)** समाचार–पत्रों और पत्र–पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लेखन का तीन वर्ष का अनुभव। **(दो)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सस्था से संगीत/प्रकाशन–व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में एक वर्षीय डिप्लोमा। **(तीन)** जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

19	सहायक निदेशक/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी/केन्द्र प्रभारी (कृषि सेवा समूह–ख, कृषि विकास शाखा) (कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि कृषि (कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान/कृषि रसायन विज्ञान/मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण/कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन या अनुवांशिकीय में विशेषज्ञता/शस्य विज्ञान/कृषि अभियन्त्रण) उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता/भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0 की उपाधि कृषि (कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान/कृषि रसायन विज्ञान/मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण/कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन या अनुवांशिकीय में विशेषज्ञता/शस्य विज्ञान या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
20	सहायक निदेशक (सांख्यिकी) कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा)	**(एक)** सरकारी आंकडों और उनके निर्वचन में पांच वर्ष का अनुभव। **(दो)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/कृषि सांख्यिकी में पी–एच.डी. उपाधि **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। **(तीन)** संगणक प्रोग्रामिंग और पी0सी0ए0टी0/एक्स0टी0 के संचालन का ज्ञान। **(चार)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, **या** **(पांच)** नेशनल कैडेट–कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

<u>**नोट**</u> : पद कोड 09, 11 एवं 24 हेतु कोई भी अधिमानी अर्हता नहीं है।

7. शारीरिक मापदण्ड :

पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के परिशिष्ट–''ख'' के प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् शारीरिक मापदण्ड अपेक्षित है–

(क) ऊँचाई :–

कमांक	**वर्ग**	**पुरूष अभ्यर्थी**	**महिला अभ्यर्थी**
1	सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग	167.7 सेमी.	152 सेमी.
2	अनुसूचित जन जाति	160 सेमी.	147 सेमी.
3	पर्वतीय क्षेत्र	162.6 सेमी.	147 सेमी.

(ख) सीने की माप (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) :–

क्रमांक	वर्ग	बिना फुलाये	फुलाने पर
1	अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	76.5 सेमी0	81.5 सेमी0
2	सामान्य व अन्य अभ्यर्थी	78.8 सेमी0	83.8 सेमी0

(ग) शारीरिक वज़न (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) : न्यूनतम 45 किग्रा0

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आँख 6/6 व दूसरी आँख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आँख 6/6 और बाँयें हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बांयी आँख 6/6 होनी चाहिए और वर्णांधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए।

अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियों व अन्य समस्याएं जो पुलिस अधिकारी की डयूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी के उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी के अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

8. **आयु :** आयु सीमा न्यूनतम 21 व अधिकतम 42 वर्ष है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2025 है, अभ्यर्थी 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। तद्नुसार अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2004 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1983 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

9. **अधिकतम आयु सीमा में छूटः** विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

(i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्या : 1399 दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्या : 1244, दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा समूह ''क'' तथा ''ख'' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए **शासनादेश संख्या : 1244 दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iv) **शासनादेश संख्या : 17/2/1981–कार्मिक–2, दिनांक 28 फरवरी, 1985** के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी :–

(1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,